FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0097 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/05/2024 16:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 02/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:44 बजे **Time To (समय तक):** 21:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/05/2024 **Time (समय):** 14:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/05/2024 16:34:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 330 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** COLLECTORY CHORAHA, RADHE KRISHNA ICE CREAM SHOP NEAR, CHITTORGADH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANOJ KUMAR BAIRWA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAM CHANDRA BAIRWA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MITHA RAM JI KA KHERA, PRATAPNAGAR, CHITTORGADH, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MITHA RAM JI KA KHERA, PRATAPNAGAR, CHITTORGADH, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-6375414441

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH KUMAR		पिता:RAJPAL	1. W N 10,SAMPLA,ROHTAK HARIYANA,सांपला,रोहतक,हरियाणा, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 02.02.2024 समय 07.44 पी.एम. पर जरिये विशेष सूत्र एक मैसेज प्राप्त हुआ, मैसेज का अवलोकन किया जिसमें श्री मनोज कुमार बैरवा नामक व्यक्ति का नाम और मोबाईल नम्बर 87419-65632 अंकित है तथा विस्तृत विवरण में लिखा है कि, ''प्रदीप बैरवा मेरा परिवार में भाई लगता है जिसने पूर्व में कोई साईबर ठगी की थी तो दिल्ली पुलिस उसे पकड कर ले गई थी व उसे 40 दिन की सजा भी हो गई थी अब वह जमानत पर चित्तौडगढ आया हुआ है अब आज हरियाणा पुलिस भी किसी साईबर ठगी की कार्यवाही में चित्तोडगढ आई हुई थी और उन्होने प्रदीप बैरवा को पकड लिया है व मुझसे कहा कि हम इसे यहीं छोड जायेगे यदि तुम हमे 2 लाख रूपये दे दो नहीं तो हम इसे ले जायेंगे और केस बनायेंगे''। मैसेज का अध्ययन किया मामला रिश्वत राशि के लेन-देन का है अतः वैरिफिकेशन आवश्यक है तथा कार्यालय का अवकाश हो चुका है, स्टाफ को वाट्स-अप ग्रुप पर मैसेज किया कि कार्यालय पहूंचे । दिनांक 02.02.2024 समय 07.57 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मेरे मोबाईल नंबर 9928005800 से उक्त सुचना में अंकित मोबाईल नम्बर 87419-65632 पर कॉल किया तो किसी महिला ने फोन उठाया और बोली की हमारें भाई को पुलिस उठाकर ले गई है और 02 लाख रूपये की मांग कर रहे है तथा हमारा भाई श्री मनोज बाहर गया हुआ है और आते ही बात कराते है तथा परिवादिया ने श्री मनोज बैरवा का मोबाईल नम्बर 63754-14441 उपलब्ध कराये। समय 08.09 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोबाईल नम्बर 63754-14441 पर कॉल किया तो श्री मनोज कुमार ने बताया कि हमनें हरियाणा पुलिस से वार्ता की है वह पहले 02 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे और बाद में 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांगने लगे, यदि उनको रिश्वत राशि नही दी तो श्री प्रदीप बैरवा को गिरफ्तार कर लेगें के सम्बन्ध में बताया जिस पर परिवादी श्री मनोज कुमार को मोंबाईल पर ही ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर अविलम्ब उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया । समय 0845 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ में श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 नम्बर 132 एवं परिवादीगण श्री मनोज कुमार बैरवा तथा श्री मुकेश चन्द्र खटीक, ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है। परिवादीगणों से उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछताछ की गई जिस पर परिवादी श्री मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा पुलिस वाले रिश्वत राशि के सम्बन्ध में मेरे से तथा मेरे मित्र श्री मुकेश चन्द खटीक से वार्ता की है। परिवादी श्री मनोज कुमार बैरवा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर मजिद दरियाफ्त पर बताया कि ''आज दिनांक 02.02.2024 को हरियाणा पुलिस ने मेरे जाति भाई प्रदीप बैरवा (कान्हा) को पकड रखा है तथा उसको गाडी में बैठा रखा है तथा उसका मोबाईल भी हरियाणा पुलिस वालो के पास ही हैं तथा उसको छोडने के एवज में 02 लाख रूपये की मांग कर रहे थे जिस पर मैने एवं प्रदीप की बहन सोनु तथा मुकेशचंद खटीक (पिन्टु) ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम गरीब परिवार से है। इतने रूपये नहीं दे सकते, जिसे कम करते हुये 70 हजार रूपये की मांग की गई जिस पर 50,000 रूपये पर अपनी अंतिम सहमति देकर हमें तुंरत बुला रहे हैं अन्यथा वे लोग प्रदीप बैरवा को साईबर ठगी का आरोपी बनाकर ले जायेंगे जिनकी कुछ मोबाईल रिकार्ड वार्ता हमारे पास है। जो हमने हमारे मोबाईल में रिकार्ड की है, मै ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मचारीयों को मेरे वेध कार्य के बदले किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशी नहीं देना चाहता हुं बल्की रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। परिवादीगण ने यह भी बताया कि आरोपीगण (हरियाणा पुलिस कार्मिक) हमसे बात करने के लिये स्वयं पुलिस कर्मीयों के मोबाईल से वार्ता न कर उनकी कस्टडी मे हमारे दोस्त श्री प्रदीप बेरवा के मोबाईल नंबर 8094380317 से ही हम से रिश्वत राशि मांगने एवं श्री प्रदीप बैरवा को छोडने संबंधि समस्त वार्तायें की है। हरियाणा पुलिस के कर्मियों के नाम अशोक कुमार तथा राजेश कुमार है तथा एक अन्य व्यक्ति और है। जिस पर परिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट एवं दरियाप्त से हरियाणा पुलिस के द्वारा अपने वैध कार्य करने की एवज मे रिश्वत मांग करना धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के अन्तर्गत अपराध बनना पाया जाता है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि मांग सत्यापन काराया जायेगा । कार्यालय हाजा के मालखाने से मिनी डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी श्री मुकेश चन्द को टेप रिकोर्डर के संचालन की विधि समझाई जाकर कार्यालय के हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह नम्बर 132 को बुलाकर परिवादी का आपस मे परिचय करवाया गया तथा हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह को निर्देश दिये गये कि परिवादी को डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर उसके साथ जाकर रिश्वत राशि मांग की सत्यापन कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया । मनोज ने बताया कि बाहर से आई हरियाणा पुलिस के लोग मुकेश पर ज्यादा विश्वास कर रहे है अतः श्री मुकेशचंद खटीक

से ही बात कराये तो ठीक रहेगा। सत्यापन हेतु टीम को रवाना किया गया। समय 0949 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी हैड कानि जितेन्द्र सिंह से जरिये दुरभाष वार्ता कर राधेकृष्णा आईस्क्रीम की दुकान के पास कलेक्ट्री चैराये से आगे चित्तौडगढ-भीलवाडा मार्ग के लिये रवाना हुआ। समय 1015 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मुकेश चन्द्र खटीक तथा हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री जितेंन्द्र सिह ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। मुकेश चन्द खटीक ने बताया कि "मैं तथा जितेंन्द्र सिह ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर हरियाणा पुलिस के बताये स्थान गुरूद्वारें के पास पहूंच तथा आरोपीगण की लोकेशन जानने हेतु मेरे मोबाईल नंबर 8005653365 से श्री प्रदीप बैरवा के मोबाईल नंबर 8094380317 पर हरियाणा पुलिस से वार्ता की जिन्होने मुझे कलेक्ट्री चैराहे से आगे राधेकृष्णा आईसक्रीम की दुकान पर बुलाया उक्त वार्ता डिवीआर में रिकार्ड किया गया। वार्ता अनुसार रवाना होकर कलेक्ट्री चैराहे के पास राधेकृष्णा आईस्क्रीम से आगे पहूंचे जहां पर हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह ने मुझे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर वार्ता रिकार्ड करने हेतु रवाना किया और हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह भी अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए मौके के आस-पास ही खडे रहे। तत्पश्चात् मैं राधेकृष्णा आईस्क्रीम की दुकान के बाहर पहूंचा जहां पर गाडी नम्बर एच.आर. 95 ए. 4932 जो की एक सफेद रंग की टाटा टीयागो कार खडी थी जिसके पास जाकर देखा तो उक्त कार में 04 व्यक्ति बैठे हुए थे जिसमें से 01 मेरा दोस्त प्रदीप बैरवा भी था और शेष 03 में से एक व्यक्ति राजेश हैड कानि0 जो कि मेरे भाई के पास कार के पीछे वाली सीट पर बैठा था तथा एक व्यक्ति जो अशोक एएसआई था वह कार की कॉ-ड्राईवर सीट पर तथा एक व्यक्ति अन्य जो ट्रेक सुट पहने ड्राईविंग सीट पर बैठा था, जिस पर उक्त व्यक्तियों से एक व्यक्ति श्री राजेश हैड कानि ने कार से उतर कर कार के नजदीक ही उक्त दोनो के सामने ही मेरे से रिश्वत राशि की मांग की जिस पर मेरे द्वारा उनको कहा गया कि अभी मेरे पास 15 हजार रूपये ही है जो आप ले लो इसके अलावा मेरे पास कोई रूपये नही है जिस पर हरियाणा पुलिस ने 15 हजार रूपये लेने से मना कर दिया और कहा कि पूरे पैसे लाओंगे जब प्रदीप बैरवा को छोड़ेंगे तथा अशोक एएसआई ने मुझे एक बयान दिखाया था जिसको मैने पढा था जो डिवीआर मे रिकार्ड है। मुझे पुरे पैसे जल्दी लाने हेतु वहां से रवाना कर दिया जिस पर मैं रवाना होकर आशिष जूस की दुकान के पास पहुंच, हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह को कॉल कर आशिष जूस वाले के बाहर बुलाने पर हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह भी वहां पहूंचा और डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालू शुदा पेश किया जिस पर हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह ने डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह को मैने सम्पूर्ण हालात बताये जिस पर हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह नम्बर 132 ने मुझे पुनः निर्देशित किया कि आपको वापस जाकर वार्ता करनी है जिस पर हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह नम्बर 132 ने मुझे डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालूकर दिया और मौके से हरियाणा पुलिस से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कलेक्ट्री चैराहे के पास राधेकृष्णा आईस्क्रीम के बाहर भेजा जिस पर मैं पुनः राधेकृष्णा आईस्क्रीम वाले के बाहर पहूंचा जहां पर गाडी नम्बर एच.आर. 95 ए. 4932 जो की एक सफेद रंग की टाटा टीयागो कार के पास जाकर पुनः श्री राजेश हैड कानि से वार्ता की तो उन्होने मेरे से मौके पर ही अपने दोनो साथीयों (अशोक एएसआई व साथ आया अन्य व्यक्ति) के सामने ही 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि ले ली और मेरे भाई को भी नही छोडा और कहा कि 01 घंटें में शेष 35,000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर, हम बता देगें की तुझे कहां मिलना है तथा अब तक हरियाणा पुलिस वाले मेरे मित्र श्री प्रदीप बैरवा के मोबाईल से ही बात कर रहे थे इसलिये एक पुलिस अधिकारी (राजेश हैड कानि) ने अपने मोबाईल नम्बर 9466553577 देते हुए बताया कि आपके पास शेष रूपये की व्यवस्था हो जावे तो आप मुझे इस नम्बर पर बता देना। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह के पास पहूंचा और डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालू शुदा पेश किया जिस पर हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा इसी दौरान आप भी मौके पर उपस्थित आये और मेरे द्वारा उक्त कार्यवाही एवं रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित सम्पूर्ण हालात मौके पर ही आपको बताये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 नम्बर 132 मय परिवादी श्री मुकेश चन्द खटीक मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के कलेक्ट्री चैराहे से आगे आशीष जूस वाले के बाहर से मय निजी वाहन के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहूंचे। समय 1030 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 नम्बर 132 द्वारा पेश डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त समस्त तथ्यों की पुष्टि हुई तथा रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। चूंकि रिश्वत राशि का लेन-देन कल दिनांक 03.02.2024 को सम्भव है अतः परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने को कहकर कार्यालय से रूखसत देते हुए श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को हिदायत दी कि आप परिवादी श्री मुकेशचन्द खटीक के सम्पर्क में रहे क्योंकि श्री प्रदीप बैरवा को आरोपीगण ने अपनी कार में बैठा रखा है तथा कभी भी परिवादी को फोन कर रिश्वत राशि लेने हेतु बुला सकते है ऐसी स्थिति में होने वाली वार्ता की रिकॉर्डिंग को भी आप परिवादी के सम्पर्क में रहकर रिकॉर्डिंग करें। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि ने बताया कि मैने मेरे मोबाईल से कुछ तस्वीरे आरोपीगण की ली है। तस्वीरो का मोबाईल में अवलोकन कर प्रिन्ट निकालने का निर्देश दिया। थाना साईबर क्राईम गुरूग्राम वेस्ट पर दर्ज प्रकरण संख्या 11/2023 की एफआईआर की प्रति डाउनलोड कर प्रिन्ट लिया जाकर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 03.02.2024 समय 1256 एएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री

जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 नम्बर 132 ने जरिये दूरभाष वार्ता कर बताया कि अभी कुछ समय पहले परिवादी श्री मुकेश चन्द ने मूझे फोन कर बताया कि हरियाणा पुलिस वालें मुझे एक गोल्ड फ्लेग सिगरेट का पैकेट और डिस्पोजल गिलास लेकर पुलिस थाना सदर चित्तौडगढ पर बुला रहे है। जिस पर मेरे द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को निर्देशित किया कि डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को साथ लेकर परिवादी श्री मुकेश चन्द्र से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही से सम्बन्धित होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशित किया। 02.30 ए.एम. पर हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह नम्बर 132 बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि आपके पूर्व निर्देशानुसार "मैं तथा परिवादी श्री मुकेश चन्द मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के मय निजी वाहन के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना सदर चित्तौडगढ से कुछ पहले रूकें जहां पर परिवादी श्री मुकेश चन्द्र खटीक के मोबाईल नम्बर 8005653365 से श्री प्रदीप बैरवा के मोबाईल नंबर 8094380317 पर हरियाणा पुलिस के राजेश हैड कानि से वार्ता की जिसको डिवीआर में रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता में हरियाणा पुलिस द्वारा मुझे सिगरेट का पैकेट एवं डिस्पोजल गिलास को लेकर पुलिस थाना सदर चित्तौडगढ के अन्दर आने हेतु कहा जिस पर हम दोनो पुलिस थाना सदर के बाहर पहूंचे जहां पर मेरे द्वारा परिवादी श्री मुकेश चन्द्र खटीक को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालुकर कर सुपुर्द कर अन्दर जाने हेतु रवाना किया और इसी दौरान सदर थाने के बाहर श्री प्रदीप कुमार के परिवारजन भी उपस्थित थे। परिवादी पुलिस थाना सदर के अन्दर चला गया और मैं मौके पर ही अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए परिवादी के वापस आने का इन्तजार करने लगा जिस पर कुछ समय बाद परिवादी वापस आया और मुझे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालू शुदा पेश किया जिस पर मैंने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् मुझे परिवादी ने बताया कि जब मैं आपके पास से रवाना होकर थाने में गया तब श्री प्रदीप के परिवारजन भी मेरे फोन करने पर अन्दर आ गये थे और जब मैनें श्री राजेश हैड कानि हरियाणा पुलिस से बात की तों शेष राशि की व्यवस्था सुबह कर देना का कहा तथा प्रदीप को छोड दिया। इसके बाद मैं, प्रदीप कुमार तथा उसके परिवारजन के सदस्य पुलिस थाना सदर से बाहर आये और मुझे सम्पूर्ण हालात बताये साथ ही परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि अभी हमारें पास हरियाणा पुलिस को देने के लिए शेष राशि 35000 रूपये की व्यवस्था नही है और रिश्वत राशि की व्यवस्था होते ही मैं आपसे सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ में उपस्थित हो जाउंगा। इसके बाद जितेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री मुकेश चन्द खटीक को मौके से रवाना कर मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहूंचा तथा उक्त तथ्यों की पुष्ठि के सम्बन्ध में मेरे द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालूकर सुना गया तो श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्ठि होना पाया गया। तत्पश्चात् डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी श्री मुकेश चन्द खटीक द्वारा आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वत राशि के साथ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादीगण ने शाम तक ही रूपयों की व्यवस्था होना बताया है मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दिनांक 03.02.2024 को दिगर राजकार्य से बाहर जाने की संभावना होने से हैड कानि जितेन्द्र सिंह को निर्देशित किया कि परिवादी से संपर्क में रहे तथा आरोपीगण यदि परिवादीगण से संपर्क करे तो होने वाली वार्ता को रिकार्ड करे। 03.02.2024 समय 0800 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य सम्पादित कर पुनः कार्यालय पहुंचा। कार्यालय में श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 नम्बर 132 ने बताया कि आज दिन में श्री मुकेश चन्द को जरिये दुरभाष हरियाणा पुलिस वाले बार-बार फोन कर रहे थे। किन्तु पैसे की व्यवस्था नहीं होने के कारण परिवादीगण ने फोन अटेण्ड नही किया है। दोपहर मे परिवादी मुकेश कार्यालय में आया उसी समय करीब 1204 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल पर हरियाणा पुलिस का फोन आया जिसे मालखाने से डिवीआर निकलवाकर रिकार्ड किया गया जिसमें हरियाणा पुलिस के श्री राजेश हैड कानि द्वारा परिवादी मुकेश के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि हम लोग हरियाणा जा रहे है आप लोगो द्वारा हमारी अच्छी सेवा की और आपके किसी का फोन तो नहीं आया हम अब चित्तोडगढ से जा रहे है। आप मोज करो ऐसी पुलिस नहीं मिलेगी। बाद वार्ता रिकार्ड डिवीआर को मालखाने में वापस सुरक्षित रखवाया था। मालखाने से उक्त डिवीआर निकलवाकर वार्ता को सुनकर हैडकानि के कथनों की पुष्ठी की। उक्त माबाईल वार्ता से स्पष्ट होता है कि आरोपीगणों को कोई संदेह होने व अन्य राज्य के पुलिस कार्मिक होने से अब वापस परिवादीगणों से रिश्वत राशि लिया जाना संभव नहीं है तथा परिवादी भी काफी गरीब स्थिति में होने से शेष रिश्वत में दी जाने वाली राशि 35,000 की व्यवस्था करने में असमर्थ है। अतः उक्त ट्रेप कार्यवाही होना अब संभव नही है। दिनांक 04.02.2024 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हैड कानि जितेन्द्र सिंह ने बताया कि परिवादीगण श्री मुकेशचन्द खटीक तथा श्री मनोज कुमार बेरवा से अग्रिम कार्यवाही हेतु संपर्क किया तो अति आवश्यक परिवारिक कार्यो में व्यस्त होना बताया तथा दिनांक 06.02.2024 को कार्यालय में उपस्थित आना बताया। परिवादीगण के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 05.02.2024 समय 0730 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय पत्रांक 242 दिनांक 04.02.2024 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना साईबर क्राईम वेस्ट गुरूग्राम हरियाणा को जारी कर प्रकरण में वांछित सुचना के प्रतिउत्तर में थानाधिकारी पुलिस थाना साईबर क्राईम वेस्ट गुरूग्राम हरियाणा के पत्रांक 60-5ए दिनांक 05.02.2024 के द्वारा जरीये मे प्राप्त हुई जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 1230 पीएम तलबीदा गवाहन श्री सपन काकानी पुत्र श्री

सत्यनारायण काकानी जाति महाजन उम्र 45 निवासी अशोक नगर चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा चित्तौडगढ और श्री करण सिंह मीना पुत्र श्री जीवन सिंह मीणा उम्र 23 निवासी गांव भेमली पोस्ट जावदा सेकंण्ड तहसील निम्बाहैडा जिला चित्तौडगढ़ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा चित्तौडगढ तथा परिवादीगण श्री मनोज कुमार बैरवा तथा श्री मुकेश चन्द खटीक उपस्थित कार्यालय आये उक्त दोनो स्वातंत्र गवाहन को कार्यवाही मे सम्मिलित होने हेतु सहमति प्राप्त करने पर सहमति जाहीर की जिस पर परिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.02.2024 केा पढकर सुनाई गई सुन पढ सही मान दोनो स्वतंत्र गवाहन ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहन को परिवादीगणो से संबंधित अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुये शेष कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिस पर परिवादी श्री मनोज ने एक पेन ड्राईव मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि इसमे दो रिकाडिंग वार्ता है जो प्रदीप बैरवा की बहन सोनु के मोबाईल नंबर 8741965632 पर प्रदीप बैरवा के मोबाईल नंबर 8094380317 से आरोपी राजेश हैड कानि तथा प्रदीप की बहन सोनु की दिनांक 02.02.2024 समय 0700 पीएम पर हुई वार्ता जिसको परिवादी श्री मनोज बैरवा ने अपने मोबाईल में रिकार्ड किया था तथा दुसरी वार्ता जिसमें परिवादी श्री मुकेश के मोबाईल नंबर 8005653365 की श्री प्रदीप बैरवा (कान्हा) (जिसको आरोपीगण श्री राजेश हैड कानि तथा श्री आशोक एएसआई ने डिटेन कर रखा था) के मोबाईल नंबर 8094380317 पर दिनांक 02.02.2024 को 0833 पीएम पर हुई वार्ता जिसको परिवादी मुकेश ने अपने अन्य मोबाईल में रिकार्ड किया था। उक्त दोनो वार्ताओ का एक पेन ड्राईव 16 जीबी sandisk कम्पनी का बरंग लाल-काला प्राप्त किया गया। उक्त वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार होने के पश्चात पेन ड्राईव नियमानुसार जब्त किया जायेगा। समय 0100 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में, परिवादी मनोज बैरवा द्वारा पेश पेन ड्राईव जिसमें दिनांक 02.02.2024 को समय 0700 पीएम पर प्रदीप बैरवा की बहन सोनु के मोबाईल नंबर 8741965632 पर प्रदीप बैरवा के मोबाईल नंबर 8094380317 से आरोपी राजेश हैड कानि तथा प्रदीप की बहन सोनु की वार्ता जिसको परिवादी श्री मनोज बैरवा ने अपने मोबाईल में रिकार्ड किया था, उक्त वार्ता के पेन ड्राईव को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से तैयार करवाई गई। समय 0130 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में, परिवादी द्वारा पेश पेन ड्राईव जिसमें परिवादी श्री मुकेश के मोबाईल नंबर 8005653365 की श्री प्रदीप बैरवा (कान्हा) (जिसको आरोपीगण श्री राजेश हैड कानि तथा श्री आशोक एएसआई ने डिटेन कर रखा था) के मोबाईल नंबर 8094380317 पर दिनांक 02.02.2024 को 0833 पीएम पर हुई वार्ता जिसको परिवादी मुकेश ने अपने अन्य मोबाईल में रिकार्ड किया था। उक्त पेन ड्राईव को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से तैयार करवाई गई। समय 0200 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में, दिनांक 02.02.2024 को समय 0928 पीएम, पर परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक के मोबाईल नम्बर 8005653365 एंव आरोपी श्री राजेश कुमार की श्री प्रदीप बैरवा के मोबाईल नम्बर 8094380317 पर हुई वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से तैयार करवाई गई। समय 0345 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में, दिनांक 02.02.2024 को समय 0940 पीएम पर राधेकृष्णा आईसक्रीम की दुकान के बाहर, कलेक्ट्री चैराहा से आगे, चित्तोडगढ-भीलवाडा मार्ग पर (जहां आरोपीगण ने अपनी सफेद कार टाटा टीयागो HR 95 A 4932 खडी कर रखी थी) परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक की आरोपीगण श्री राजेश कुमार हैड कानि तथा अशोक कुमार एएसआई से हुई वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से तैयार करवाई गई। उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में, दिनांक 02.02.2024 को समय 1000 पीएम पर राधेकृष्णा आईसक्रीम की दुकान के बाहर, कलेक्ट्री चैराहा से आगे, चित्तोडगढ-भीलवाडा मार्ग पर (जहां आरोपीगण ने अपनी सफेद कार टाटा टीयागो HR 95 A 4932 खडी कर रखी थी) परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक की आरोपीगण श्री राजेश कुमार हैड कानि तथा अशोक कुमार एएसआई से हुई वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से तैयार करवाई गई। समय 0600 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय पत्रांक 276 दिनांक 06.02.2024 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना साईबर क्राईम वेस्ट गुरूग्राम हरियाणा को जारी कर प्रकरण में वांछित सुचना प्राप्त करने हेतू जरीये मेल भेजा गया। समय 0630 पीएम उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में, दिनांक 03.02.2024 को समय 0124 पीएम, पर परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक के मोबाईल नम्बर 8005653365 एंव आरोपी श्री राजेश कुमार की श्री प्रदीप बैरवा के मोबाईल नम्बर 8094380317 पर हुई वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से तैयार करवाई गई। समय 0705 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में, दिनांक 03.02.2024 को समय 0129 एएम पर पुलिस थाना सदर चित्तौडगढ में परिवादी

श्री मुकेशचन्द्र खटीक की आरोपी श्री राजेश कुमार हैड कानि0 से हुई वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से तैयार करवाई गई। समय 0810 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में दिनांक 03.02.2024 करीब 12.04 पी.एम. पर परिवादी मुकेशचन्द खटीक के मोबाईल नंबर 8005653365 पर हरियाणा पुलिस के हैड कानि राजेश के मोबाईल नंबर 9466553377 से फोन आया था वार्ता को डिवीआर में रिकार्ड रिकार्ड किया था पर रिंग आने पर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया । उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132 से तैयार करवाई गई। समय 0835 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में कार्यवाही हाजा से संबधित कुल 08 वार्तायें जिनमे से 06 वार्ता जो कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में क्रमशः दिनांक 02.02.2024 को समय 0928 पीएम (आरोपी की लोकेशन जानने हेतू मोबाईल वार्ता), 0940 पीएम (रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम), 1000 पीएम (रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय) तथा दिनांक 03.02.2024 को समय 0124 एएम (मोबाईल वार्ता), 0129 एएम (रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय) तथा 1204 पीएम (मोबाईल वार्ता) एंव परिवादी द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राईव में सुरक्षित वार्ता की दिनांक 02.02.2024 को समय 0700 पीएम (मोबाईल वार्ता) व 0833 पीएम (मोबाईल वार्ता) की वार्ता, उक्त वार्ताओ का विस्तृत विवरण पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट में अंकित है, उक्त वार्ता से संबंधित सरकारी डिवीआर तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राईव को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त 08 ऑडियो फाईल्स को ए-डेटा कम्पनी के 16 जी.बी. मेटल पेन ड्राईव में सेव किया जाकर पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "पी." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 0845 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में कार्यवाही हाजा से संबधित कुल 08 वार्तायें से संबंधित सरकारी डिवीआर तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राईव को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर 05 डब डिवीडी श्री जितेन्द्र कानि0 नम्बर 132 से मेरे निर्देशन में तैयार की गई जिन पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इनके में से एक डिवीडी नमुना आवाज की कार्यवाही हेतू, तीन डिवीडी आरोपीगण हेतु तथा एक डिवीडी अनुसंधान अधिकारी हेतू तैयार करवाई गई। अनुसंधान अधिकारी की 01 डिवीडी को खुला रखा गया तथा शेष 04 डिवीडी को प्लास्टिक के कवर में रख कर पृथक-पृथक कपडे की थैलिया में रख कर सीलचीट कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 0900 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहन तथा परिवादगण श्री मुकेश खटीक की उपस्थिति में परिवादी मनोज बैरवा द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राईव में सुरक्षित वार्ता की दिनांक 02.02.2024 को समय 0700 पीएम (मोबाईल वार्ता) व 0833 पीएम (मोबाईल वार्ता) की वार्ता उक्त दोनो वार्ताओ का विस्तृत विवरण पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट में अंकित है, पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "पी-01" अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । फर्द जब्ती तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया। समय 0930 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मुकेशचन्द्र खटीक व मनोज बैरवा की उपस्थिति में कार्यवाही हाजा से संबधित 06 वार्ता जो कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए sandisk कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 0935 पीएम पर उपरोक्त कार्यवाही में जब्दशुदा आर्टीकल जिसमें पेन ड्राईव, मेमोरी कार्ड, डिवीडी को सुरक्षित मालखाने में मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि नंबर 105 को सुपुर्द कर रखवाई गई। समय 1000 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय पत्रांक 276 दिनांक 06.02.2024 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना साईबर क्राईम वेस्ट गुरूग्राम हरियाणा को जारी कर प्रकरण में वांछित सुचना के प्रतिउत्तर में थानाधिकारी पुलिस थाना साईबर क्राईम वेस्ट गुरूग्राम हरियाणा के पत्रांक 64-5ए दिनांक 05.02.2024 के द्वारा जरीये मे प्राप्त हुई जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08.02.2024 समय 0600 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय पत्रांक 282 दिनांक 08.02.2024 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना साईबर क्राईम वेस्ट गुरूग्राम हरियाणा को जारी कर प्रकरण में वांछित सुचना प्राप्त करने हेतू जरीये मेल भेजा गया तथा हैड कानि जितेन्द्र सिंह ने वक्त सत्यापन रिश्वत मांग के दौरान कुछ फोटो लिये थे जिन्हें प्रिन्ट कर पेश किये बाद अवलोकन शामिल फाईल किया गया। गुरूग्राम पुलिस से प्राप्त 01 पुछताछ रिपोर्ट आरोपी प्रदीप। 02दिनांक 06.02.2024 की रोजनामचा रपट। 03. प्रदीप बैरवा को दिये गये 41 ए सीआरपीसी के नोटिस की प्रति। 04. राशि 15,000 रूपये प्राप्ति की रसीद। 05 अभिरक्षा अनुसंधान फार्म जिनका अवलोकन कर प्रत्येक पर एण्डोसमेंट कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में थाना सदर चित्तोडगढ से गुरूग्राम साईबर क्राईम थाना के पुलिस कर्मियों की आमद की रपट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 0830 पीएम पर परिवादीगण उपस्थित कार्यालय आये जिनसे दिनांक 02.02.2024 के विस्तृत हालात के बारे में

पुछा तो परिवादी श्री मनोज बैरवा ने बताया कि मेरे भाई का नाम प्रदीप है जिसको दिनांक 02.02.2024 करीब 0400 बजे, सदर थाने वालो ने शांति भंग में गिरफ्तार किया था जिसकी जमानत हैतू मै कलेक्ट्री गया तो वहां हरियाणा पुलिस वाले खडे थे जिन्होने एक फोटो दिखाते हुये कहा कि इस प्रदीप को हम गिरफ्तार करेगें इसने साईबर ठगी की है इस पर मेने उनसे कहा कि यह वो प्रदीप नहीं है वो प्रदीप दूसरा है इस पर मैने उनके प्रकरण से संबंधित प्रदीप से संपर्क करने के लिये प्रदीप की बहन सोनु के फोन लगाकर प्रदीप के मोबाईल नंबर लेकर हरियाणा पुलिस को दिये इसके बाद हरियाणा पुलिस वालो ने मुझे कार में बैठाया और सदर थाने की तरफ ले गये जहां एक पुलिसकर्मी सदर थाने के अन्दर जाकर वापस आया फिर वो मुझे कैलाश नगर चांमटी खेडा रोड की तरफ ले गये उन्होने शायद प्रदीप बैरवा के मोबाईल नंबर की लोकेशन मंगवाकर लोकेशन के आधार पर प्रदीप बेरवा को पकड लिया जो कैलाश नगर चांमटी खेडा रोड पर मजदुरी का कार्य कर रहा था। फिर हरियाणा पुलिस वालो ने मुझे छोड दिया। तथा प्रदीप बैरवा को कार में बिठा कर सदर थाने की तरफ ले गये और मुझसे कहा कि प्रदीप को छुडवाना है तो 2 लाख रूपये लेकर आजा। इस पर मैने प्रदीप की बहन सोनू से संपर्क कर सदर थाने की तरफ पहुंचे तथा हरियाणा पुलिस कर्मीयों को रिक्वेस्ट की कि प्रदीप कम पढालिखा है इसको साईबर ठगी के बारे में कुछ नहीं पता है इसके साथ भी धोखा हुआ है। ये बेगुनाह है इसको छोड दो परन्तु हरियाणा पुलिस वाले नहीं माने व कहा कि पैसे नहीं दोगे तो हम इसको गिरफ्तार कर साथ ले जायेंगे। इसी दौरान मुकेश खटीक (पिन्टू) भी वहां आ गया था मुकेश खटीक (पिन्टू) ने भी उनसे रिक्वेस्ट की तो वे लो 1.5 लाख रूपये पे आ गये थे। फिर हमने एसीबी से संपर्क किया था परिवादीगण को रूखसत किया गया। दिनांक 09.02.2024 समय 0830 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक को हैड कानि श्री जितेन्द्र सिंह ने दिनांक 02.02.2024 केा वक्त सत्यापन मौके पर जो फोटो लिये गये थे उनका फोटो प्रिन्ट सुपुर्द किये जिनका अवलोकन कर एस सफेद कागज पर चिपका कर सक्षिप्त विवरण लिखवा शामिल फाईल किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि दिनांक 02.02.2024 को परिवादीगण श्री मनोज बैरवा तथा मुकेश चन्द्र खटीक ने उपस्थित कार्यालय हो परिवादी मनोज बैरवा द्वारा एक लिखत रिपोर्ट इस आशय कही पेश की कि ''आज दिनांक 02.02.2024 को हरियाणा पुलिस ने मेरे जाति भाई प्रदिप बैरवा (कान्हा) को पकड व उसको छुडाने के एवज में 02 लाख रूपये की मांग कर रहे थे जिस पर मैने, प्रदीप की बहन सोनु तथा मकेश खटिक (पिन्टु) ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम गरीब परिवार से है। इतने रूपये नहीं दे सकते जिस कम करते हुये 70 हजार रूपये की मांग की तथा 50,000 रूपये पर अपनी अंतिम सहमति देकर तुंरत बुला रहे हैं अन्यथा वे लोग प्रदीप बैरवा को साईबर ठगी का आरोपी बनाकर ले जायेंगे जिनकी कुछ वार्ता हमारे पास है। मै ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मचारीयों को मेरे वेध कार्य के बदले किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशी नहीं देना चाहता हुं बल्की रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं'' मामला रिश्वत मांग का पाया जाने से नियमानुसार मांग सत्यापन करवाया गया दौराने सत्यापन आरोपी श्री राजेश हैड कानि ने परिवादी से 15,000 रूपये ग्रहण किये तथा 35,000 हजार जल्दी लाने को कहने की पूष्ठी हुई। परन्तु परिवादी के पास रिश्वत राशि 35,000 हजार रूपये की व्यवस्था नहीं होने तथा हरियाणा पुलिस के चित्तोडगढ से वापस चले जाने से ट्रेप कार्यवाही सफल नहीं हुई। हैड कानि0 राजेश कुमार व श्री अशोक कुमार, एएसआई द्वारा रिश्वत मांग की गई है तथा उपरोक्त आरोपीगण पुलिस कार्मिको के साथ तीसरा व्यक्ति जो उनके साथ था उसकी संदिग्ध भुमिका एवं नाम पता उजागर अनुसंधान के दौरान की जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना साईबर अपराध पश्चिम गुरूग्राम हरियाणा से उनके प्रकरण संख्या 11/2023 धारा 419, 420 आईपीसी के संदर्भ में निम्न सुचनायें प्राप्त हुई- 01. पुछताछ रिपोर्ट आरोपी प्रदीप। 02. दिनांक 06.02.2024 की रोजनामचा रपट 03. प्रदीप बैरवा को दिये गये 41 ए सीआरपीसी के नोटिस की प्रति। 04. 15,000 रूपये प्राप्ति की रसीद 05. अभिरक्षा अनुसंधान फार्म उपरोक्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया यह समस्त दस्तावेज आरोपीगण को एसीबी का भान होने पर अपने बचाव में तैयार की गई एक नाकामयाब कोशिश है क्योंकि- 01. इनमें से अभिरक्षा प्रपत्र जो दिनांक 10.02.2024 को 1010 पीएम पर तैयार किया जाना बताया गया है यह कहां तैयार किया गया स्थान अंकित नहीं है इस पर कॉलम संख्या 04 में अभिरक्षित व्यक्ति की तलाशी में बरामदगी निल बताई गई है। दुसरी तरफ वो अन्य रिकार्ड मे 15,000 हजार रूपये की बरामदगी बता रहे है। साथ ही में उक्त फर्द जो 1010 पीएम पर तैयार होना बता रहे है उस समय तो वो कलेक्ट्रेट से आगे राधेकृष्णा आईसक्रीम के पास खडे थे जो हैड कानि जितेन्द्र सिंह के सामने ही थे वहां काई लिखा पढत नहीं हो रहीं थी। 02. सुचि प्राप्ति 15,000 हजार रूपये रसीद किस समय व कहां तैयार की गई इस पर कोई उल्लेख नही है। साक्षियों के हस्ताक्षर का उल्लेख किया गया है किंतु केवल एक साक्षी श्री अशोक कुमार एएसआई के ही साईन है। परम्परागत रूप से अभियुक्त को गिरफ्तार कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत बरामदगी होती है। बरामदगी का नक्शा अलग से बनता है जिन पर 02 स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर होते है। किन्तु यहां यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। 03. आरोपी प्रदीप का जो 41 सीआरपीसी का नोटिस दिया गया है वो नितांत झुठा है क्योंकि उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री राजेश दिनांक 02.02.2024 को चित्तोडगढ शहर में उपस्थित थे दिनांक 02.02.2024 को 1010 पीएम पर उनके द्वारा मुल्जिम से अभिरक्षा बाबत एक फर्द चित्तोडगढ राजस्थान में तैयार करना बताया गया है ऐसी स्थिति में वह इस नोटिस में जो कि दिनांक 02.02.2024 को 1010 पीएम पर तैयार करना बताया गया है में किसी अभियुक्त को दिनांक 02.02.2024 को प्रातः 1100 बजे गुरूग्राम साईबर वेस्ट पुलिस थाने पर कैसे बुलाया जा सकता है। 04. दिनांक 06.02.2024 को उक्त पुलिस कर्मीयो ने अपनी वापसी रोजनामचा

में रपट संख्या 08 समय 1529 पर दर्ज करी है। समय 0200 पीएम का उल्लेख कर आरोपी प्रदीप बैरवा से 15,000 रूपये रिकवर कर कब्जा पुलिस लिया जाने व मालखाने में जमा कराया जाने का उल्लेख है। (इस वापसी में कम्प्युटर जनित समय 1529 एचआरएस है जबकि आईओ 0200 पीएम दर्ज कर रहा है) 05. आरोपी प्रदीप से प्रकरण में एक पुछताछ रिपोर्ट भी तैयार करना बताया गया है किन्तु यह रिपोर्ट कितने बजे किस स्थान पर तैयार की इसका कोई उल्लेख नही है। इसमें साक्षिगण में केवल अशोक कुमार के हस्ताक्षर है साथ ही इसमें आरोपी के दोस्त महेश उर्फ पिन्टु को 15,000 हजार रूपये देने का जिक्र है जो कि बरामद किये जा सकते है। यहां देखने वाली बात है कि पिन्टु का ओफिशियल नाम मुकेशचन्द खटीक है न की महेश, साथ ही यदि महेश से रूपये बरामद किये गये तो किसी भी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाये गये। प्राप्ति रसीद पर भी उसके हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिये थे। साथ ही महेश को मुल्जिम क्यों नहीं बनाया। आरोपीगण ने अपने बचाव में मिथ्या साक्ष्य गढे है और रोजनामचा में झुठी प्रविष्ठी की है। अन्वेषण अधिकारी का दायित्व था कि वह अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार करता और नियमानुसार पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर पुरी बरामदगी करता। उसने न केवल प्रदीप को छोड़ दिया वरन वह प्रदीप के दोस्त मुकेश को भी कहता है इसको कही बाहर सेट कर दो इसको यहां नहीं रखना ताकि दुसरे पुलिस थाने वाले भी इसको गिरफ्तार नहीं कर सके। आईओ का यह कृत्य धारा 193 और 221 भादस0 में अपराध की श्रेणी में आता है। परिवादीगण के पास शेष रूपयों की व्यवस्था नहीं होने तथा आरोपीगणो को शंका होने से तथा चित्तोडगढ से वापस चले जाने से ट्रेप कार्यवाही पुर्ण नही हो पाई। आरोपी श्री राजेश कुमार हैड कानि पुलिस थाना साईबर वेस्ट गुरूग्राम हरियाणा द्वारा परिवादीगण के साथी को पुलिस थाना साईबर वेस्ट गुरूग्राम हरियाणा के प्रकरण संख्या 11/2023 मे मुल्जीम नहीं बनाने तथा गिरफ्तार नही करने जमानत नहीं होने देने का भय दिखाकर परिवादी से 70,000 हजार रूपये की मांग करना तथा 50,000 रूपये प्राप्त करने पर सहमत होना, दोराने सत्यापन 15,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर 35,000 रूपये जल्दी लाकर देने पर ही श्री प्रदीप बैरवा को छोडने की बात कहना तथा 15,000 रूपये सत्यापन के दौरान प्राप्त करने के बाद परिवादी के मित्र श्री प्रदीप बैरवा को छोडकर अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया तथा श्री अशोक कुमार, एएसआई व अन्य की आपराधिक भूमिका एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने तथा रोजनामचे में झूठी प्रविष्ठि के संबंध में दौराने अनुसंधान स्थिति स्पष्ट की जावेगी। अतः आरोपी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राजपाल निवासी डब्ल्यू नं. 10, साम्प्ला जिला रोहतक (हरियाणा) हाल हैड कानि न0 742/जीजीएम पुलिस थाना साईबर (पश्चिम) गुरूग्राम (हरियाणा) व अन्य के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (कैलाश सिंह सांदू) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ , ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राजपाल उम्र 39 वर्ष निवासी डब्ल्यू नं. 10, साम्प्ला जिला रोहतक (हरियाणा) हाल हैड कानि न0 742/जीजीएम पुलिस थाना साईबर (पश्चिम) गुरूग्राम (हरियाणा) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस0यू0 उदयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 362 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 489-92 दिनांक 23.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 उपायुक्त पुलिस मुख्यालय,गुरूग्राम हरियाणा। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चितौड़गढ़। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/05/2024 16:37:26

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)